एसिस कुमार सामंत व अन्य

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य

12 जुलाई, 2007

(ए. के. माथुर और दलवीर भंडारी, जे. जे.)

सेवा कानूनः वरिष्ठता-राज्य वन सेवा-पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के साथ-साथ सीधी भर्ती द्वारा भी नियुक्ति-प्रश्नः क्या सेवा में पदोन्नत अधिकारियों को सेवा में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों पर पूर्वव्यापी रूप से वरिष्ठता दी जा सकती है - वृहद् न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया गया।

हस्तगत अपील में यह विवादित है कि क्या 1991 में राज्य वन सेवा में पदोन्नत अधिकारियों को उक्त सेवा में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों पर पूर्वव्यापी रूप से दिनांक 31.12.1990 से वरिष्ठता दी जा सकती है। इस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के परस्पर विरोधी फैसलों का अवलोकन किया गया।

निर्धारित - न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी मत को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को एक वृहद् न्याय पीठ को निर्दिष्ट करना उचित होगा ताकि विवाद को अंतिम रूप से निस्तारित किया जा सके। इसलिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वृहद पीठ के

गठन के लिए रखे जाने हेतु रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है। (पैरा 7) (332-ए-बी.)

देवी प्रसाद व अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार व अन्य (1980) सपप. एस.सी.सी. 206, यू. डी. लामा व अन्य बनाम सिक्किम राज्य व अन्य (1997) 1 एस.सी.सी. 111, आन्ध्रप्रदेश राज्य व अन्य बनाम के.एस. मुरलीधर व अन्य (1992) 2 एस.सी.सी. 241, रामपाल मलिक बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, ए.आई.आर.(1994) एस.सी. 2481, गुजरात राज्य बनाम सी.जी. देसाई (1974) 1 एस.सी.सी. 188, जी.एस. वेंकटा रेड्डी व अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार ए.आई.आर.(1993) एस.सी. 2306, के. नारायण व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (1994) सपप. 1 एस.सी.सी. 44, बिहार राज्य व अन्य बनाम श्री अखौरी सचिन्द्रानाथ व अन्य , ए.आई.आर. (1991) एस.सी. 1244 एवं उत्तरांचल फोरेस्ट रेंजर असोसिएशन (सीधी भर्ती) व अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य (2006) 10 एस.सी.सी. 346, संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता सिविल अपील सं. 1331 (2001)

कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 24.3.1999 (डब्ल्यू.पी.एस.टी. नं. 33 (डब्ल्यू.) 1997) के विरूद्ध

अपीलार्थियों की ओर से अरिजीत भट्टाचार्य

प्रत्यर्थियों की ओर से सरला चंद्र, (एन. पी.) अजय शर्मा, टी. सी. शर्मा और नीलम शर्मा

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया

न्यायाधीश ए. के. माथुर

1. यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा डब्ल्यू.पी.एस.टी. संख्या 33 (1997) दिनांक 24.03.1999 को पारित आदेश के कारण उद्भूत हुई जिसके तहत खंड पीठ द्वारा रिट याचिका को खारिज किया गया। यह रिट याचिका पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा केस नं. टी. ए. 1293/1996 में पारित आदेश दिनांक 21.04.1997 के विरूद्ध दर्ज हुई, जिसके तहत 11 याचिकाकर्ताओं (अपीलार्थीगण) को सीधे राज्य वन सेवा में मार्च, 1990 में भर्ती किया गया था। मूलयाचिका के प्रत्यर्थीगण 4 लगायत 19 को अधिसूचना संख्या 940 दिनांक 01.02.1991 के द्वारा राज्य वन सेवा में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 31 दिसंबर, 1990 से पूर्वव्यापी वरिष्ठता दी गई थी। पश्चिम बंगाल सेवा (सेवा निर्धारण) नियम, 1981 (जिस आगे ''नियम'' के रूम में संदर्भित किया जाएगा) के नियम 6 (2) के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति उसी वर्ष में सीधी भर्ती वाले से वरिष्ठ होगा। परिणामतः प्रत्यर्थीगण 4 लगायत 19 को जिन्हें 1991 में पदोन्नत किया गया, उन्हें पूर्वव्यापी रूप से दिनांक 31.12.1990 से वरिष्ठता दी गई। इसलिए नियम 6 (2) के अनुसार

प्रत्यर्थीगण 4 लगायत 19 को सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवारों पर वरिष्ठता मिली। जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष राज्य वन सेवा की सीधी भर्ती वालों द्वारा चुनौती दी गई। राज्य न्यायाधिकरण ने पूर्वव्यापी वरिष्ठता दिए जाने के आदेश का समर्थन किया और सीधी भर्ती वालों के मत को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधी भर्ती वालों द्वारा दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया था। इसलिए उनके द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

2. इस मामले में मुख्य प्रश्न यह अन्तवर्लित है कि क्या इस तरह से पदोन्नति या वरिष्ठता दी जा सकती है या नहीं?

3. इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न मामलों में यह प्रश्न विचारणीय रहा। लेकिन इस मुद्दे पर मतभेद है। कुछ निर्णयों में पूर्वव्यापी वरिष्ठता को मान्यता दी है और कुछ मामलों में इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

सामान्यतः, सेवा के दो तरीके होते हैं पहला भर्ती के माध्यम से और दूसरा पदोन्नति के माध्यम से। कभी-कभी सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाकर भर्तियां की जाती है लेकिन पदोन्नति के माध्यम से भर्ती को, पदोन्नति होने वाले के मध्य वरिष्ठता के विवाद के कारण या न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण या अन्य किसी कारण से रोक दिया जाता है। अधिकांश राज्यों में नियम यह है कि जब एक ही वर्ष में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हो तब

पदोन्नति वालों को सीधी भर्ती वालों से वरिष्ठ स्थान पर रखा जाता है। समस्या तब आती है जब सीधी भर्ती वाले इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं फिर मुकदमेबाजी बढ़ती है, क्योंकि पदोन्नति वाले पात्र व्यक्ति को सेवा में अपना सही स्थान नहीं मिल पाता है। इसलिए उन्हें पूर्वव्यापी रूप से सीधी भर्ती वालों से वरिष्ठ किया जाकर सेवा में लाभ नहीं दिए जा सकते हैं। कुछ प्रकरणों में इस न्यायालय ने बहस के इस बिंदु का समर्थन किया है और कुछ अन्य निर्णयों में इस बिंदु को स्वीकार नहीं किया है। इसी के अनुसार निर्णयों को दो श्रेणियां में निम्नानुसार विभक्त किया जा सकता हैः-

5. निम्नलिखित मामलों में न्यायालय द्वारा पदोन्नति पाने वालों को पूर्वव्यापी पदोन्नति और वरिष्ठता स्वीकार की गई थी। निम्नलिखित निर्णयों में इस तरह के तर्क को समर्थित किया है।

देवी प्रसाद व अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार व अन्य (1980) सपप. एस.सी.सी. 206

यू. डी. लामा व अन्य बनाम सिक्किम राज्य व अन्य (1997) 1 एस.सी.सी. 111

आन्ध्रप्रदेश राज्य व अन्य बनाम के.एस. मुरलीधर व अन्य (1992) 2 एस.सी.सी. 241

रामपाल मलिक बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, ए.आई.आर.(1994) एस.सी. 2481

6. इसके विपरित दूसरा तर्क, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा की गई है जिसमें पदोन्नति पाने वाले पदोन्न्त व्यक्ति जिन्हें सीधी भर्ती वालों के विरूद्ध पूर्वव्यापी वरिष्ठता दी गई है इस मत को निम्नलिखित मामलों में शक्तियों से परे माना गया था:-

गुजरात राज्य बनाम सी.जी. देसाई (1974) 1 एस.सी.सी. 188

जी.एस. वेंकटा रेड्डी व अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार ए.आई.आर. (1993) एस.सी. 2306

के. नारायण व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (1994) सपप. 1 एस.सी.सी. 44

बिहार राज्य व अन्य बनाम श्री अखौरी सचिन्द्रानाथ व अन्य ए.आई.आर. (1991) एस.सी. 1244

उत्तरांचल फोरेस्ट रेंजर असोसिएशन (सीधी भर्ती) व अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य (2006) 10 एस.सी.सी. 346

7. इस न्यायालय द्वारा व्यक्त परस्पर विरोधी मतों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि इस मामले को एक वृहद पीठ को निर्दिष्ट किया जावे ताकि विवाद का अंतिम रूप से निर्धारण किया जा सके।

इसलिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वृहद पीठ के गठन के लिए रखे जाने हेतु रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है। सिविल अपील संख्या 1712-1713 (2002) में भी ऐसा ही अनुरोध किया गया है।

वृहद् न्यायपीठ को विनिर्दिष्ट किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।